


### निविदा प्रपत्र


उत्तर प्रदेश के राज्यपाल सचिवालय की ओर से दिनांक 01-04-15 से 31-03-16 तक के लिये राजभवन चिकित्सालय के लिये औषधियों के स्थानीय क्रय के सम्बन्ध में ख्याति प्राप्त दुकानों से एतद्वारा निविदा आमंत्रित की जाती है:-

(अ) मुहरबन्द निविदा विशेष सचिव एवं वित्त नियंत्रक राज्यपाल सचिवालय, उ0प्र0, लखनऊ में दिनांक 23-03-2015 को 11:00 बजे तक प्राप्त की जायेगी तथा निविदा समिति द्वारा दिनांक 23-03-2015 को 11:30 बजे पूर्वान्ह निविदा खोली जायेगी। निविदा खोलते समय निविदादाता अथवा उनका अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हो सकता है।

(ब) निविदादाताओं को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:-

1. आयकर एवं वाणिज्य कर में पंजीकरण होना आवश्यक है, जिसका प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है। टैन/पैन नम्बर अंकित करें।
2. आपूर्ति हेतु माँगी जाने वाली औषधि 12 घण्टे के अन्दर उपलब्ध होनी चाहिए तथा औषधि मानकानुसार होनी चाहिए।
3. ख्याति प्राप्त दुकान से आशय है कि टेण्डर में दी गयी अन्य शर्तों के अलावा निम्न शर्तें भी पूरी करता हो:-
  1. आपूर्ति अवधि के लिये वैध ड्रग लाइसेंस हो।
  2. न्यायालय द्वारा दण्डित न हो।
  3. न्यूनतम तीन वर्ष की औषधि बिक्री का अनुभव हो।
  4. दुकान पर टेलीफोन के साथ फ़िज की व्यवस्था हो। निविदादाता अपना टेलीफोन/मोबाइल नम्बर अंकित करें।
  5. अनुभव प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा, साथ ही चरित्र प्रमाण-पत्र भी संलग्न करना होगा।
  6. निविदा के साथ विशेष सचिव एवं वित्त नियंत्रक, राज्यपाल सचिवालय, उ0प्र0, लखनऊ के पक्ष में अनुसूचित बैंक का रू0 1,000.00 का बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना होगा।
  7. सफल निविदादाता को अनुबन्ध के समय जमानत धनराशि रू0 5,000.00 मात्र का एफ0डी0आर0 या डिमान्ड ड्राफ्ट जो दिनांक 31 मार्च, 2016 के लिए हो प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल के पक्ष में बन्धक करके जमा करना होगा।
  8. निविदा देने वाले को स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख करना होगा कि उनका कोई निकट सम्बन्धी राजभवन या राज्यपाल सचिवालय की सेवा में नहीं है। यदि है तो उसका नाम एवं पदनाम अंकित करना होगा।
  9. किसी भी प्रकार की सूचना असत्य पाये जाने पर प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी।
  10. निविदा के सम्बन्ध में समर्थन कराने का कड़ा निषेध है, ऐसे निविदादाता की निविदा निरस्त कर दी जायेगी। निविदा माँगे जाने की सूचना निविदा स्वीकार कर लिये जाने पर अनुबन्ध का एक भाग हो जायेगी।
  11. निविदा में अंकित दरें राजभवन/राज्यपाल सचिवालय में माल की डिलीवरी तक की होंगी। अलग से कोई पैकिंग/भाड़ा इत्यादि देय न होगा।
  12. मैक्सिमम रिटेल प्राइज से आशय दवा पर छपा फुटकर मूल्य है, जिस पर कोई अतिरिक्त कर विभाग द्वारा देय न होगा।
  13. निविदादाता द्वारा निविदा में एम0आर0पी0 (खुदरा मूल्य) रेट से अधिकतम छूट देगा और सभी शर्तें पूर्ण करेगा, उसे वरीयता दी जायेगी।
  14. विभाग द्वारा उदघृत मूल्य पर कोई टैक्स देय नहीं होगा।
  15. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल उ0प्र0 को होगा, जिस पर कोई प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं होगा।
  16. स्वीकृत दरें वर्ष 2015-16 हेतु लागू होंगी परन्तु आवश्यकता पड़ने पर सक्षम अधिकारी द्वारा इन्हीं शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन टेण्डर की अवधि एक वर्ष तक के लिए बढ़ायी भी जा सकती है।
  17. निविदा की विशेष शर्तें एवं पूर्ण विवरण राजभवन की वेब साइट [www.upgovernor.gov.in](http://www.upgovernor.gov.in) पर देखी जा सकती है।

  
Dr. Anil Nirwan  
Incharge Consultant Physician  
Raj Bhawan Dispensary, Lucknow

  
(राम प्रसाद)  
अनुसचिव, श्री राज्यपाल उ0प्र0।

